FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

रेखाराम पुत्र गोदाराम जाति जाट वगै. बनाम कानाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट वगै.
सा. मातासुखा तह. नावां सा. मातासुखा तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए मुकदमां नम्बर 137A/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
17.06.2022	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जग्गाराम ने इसी अनुवान के वाद पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम मातासुखा के खसरा नम्बर 428/91 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.021 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.64 हैक्टर भूमि में प्रार्थना पत्र में अंकित पैरा संख्या 8 व नजरी नक्शा अनुसार मार्क एबीसीडी में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के दर्शित कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा/दखलंदाजी नहीं करें। इस आशय की अप्रार्थीगण विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
18/7/22	अधिवक्ता प्रार्थी उप0। तामील/अदम तामील नोटिस प्राप्त नहीं इन्तजार होकर पत्रावली दि0 18/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/8/22	अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] अधिवक्ता श्री बजरंगलाल बिजारणियाँ ने [illegible] में अप्रार्थी संख्या 6,9,13 की [illegible] किया तथा अप्रार्थी [illegible] 10,11,12,14 की UT की पत्रावली वास्ते वकालतनामा व जवाब व बकाया तलबी दि0 28/9/22 को पेश हो (हस्ताक्षर)	अप्रार्थी सं. 2,5,11,12,14 को U-T. 10. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
28/9/22	उभयपक्ष उप०। वकालतनामा, जवाब व बकाया की तलबी पेश करने हेतु हिदायत की गई। मि०दि० 23/11/22 को पेश हो।	
23/11/22	उभयपक्ष उप०। पूर्व आदेश की पालना करने हेतु हिदायत दी गई। पत्रावली वास्ते वकालतनामा, जवाब व बकाया तलबी दि० 12/12/22 को पेश हो।	
12/12/22	उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी संख्या 2,5,12,14 की ओर से मूल वाद पत्र में वकालतनामा पेश हो चुका है। पत्रावली दि० 18/1/23 को पेश हो।	
14/12/22	पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना-पत्र पेश करते समय प्रार्थना पत्र में त्रुटि रह गयी इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उक्त प्रार्थना-पत्र अदिये विड्रोल खारिज किया जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अदिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested